संख्याः 410/VII-II-11/100-B–उद्योग/2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च , 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता योजनान्तर्गत (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) जिला उद्योग केन्द्र उत्तरकाशी में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा प्राविधानित धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5537/उ0नि0/बजट(08)/एस.सी.पी./2010–11 दिनांक 11 फरवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्याः 3049/VII-II-10/100-B–उद्योग/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता योजनान्तर्गत **(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)** जनपद उत्तरकाशी के जिला उद्योग केन्द्र में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन **₹ 1 13.17 लाख** के सापेक्ष **टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹ 107.55 लाख** की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्याः1519/VII-I/100-उद्योग/06 दिनांक 30 मार्च 2007, शासनादेश संख्याः1426/VII-II/100-उद्योग/06 दिनांक 28 मार्च 2008, शासनादेश संख्याः1958/ VII-II-09/100-उद्योग/06 दिनांक 01 सितम्बर, 2009 तथा शासनादेश संख्याः 3049/VII-II-10/100-B–उद्योग/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 द्वारा स्वीकृत धनराशि **क्रमशः ₹ 50.00 लाख, ₹ 34.95 लाख, ₹ 10.28 लाख,** तथा **₹ 10.28 लाख,** अर्थात कुल धनराशि **₹ 105.51 लाख** के अतिरिक्त **चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रथम अनुपूरक मॉग द्वारा प्राविधानित धनराशि ₹ 2.04 लाख (₹ दो लाख चार हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढाई से अनुपालन किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लघंन होता हो, यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा, प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांकः 31.03.2011 तक कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2011 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– कार्य का उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

11– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–30 के मुख्यलेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 02–अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0204–उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः– 937/XXVII(2)/2010 दिनांक 04 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 410/VII-II-11/100-B–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।